अपनी शिकायतों के निपटान के लिए इनकी सहायता लें

आयकर लोकपाल

से मिलें

आप स्वयं या आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि आयकर संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए अपनी शिकायत करदाता–हितैषी आयकर लोकपाल के समक्ष रख सकते हैं

INCOME TAX DEPARTMENT

आयकर विभाग

www.incometaxindia.gov.in

आप या आपके प्रतिनिधि किस प्रकार की शिकायतें लोकपाल के समक्ष रख सकते हैं

- **निम्नलिखित से संबंधित मामलों के निपटान में देरी के संबंध में :**
  - ☞ रिफंड जारी होना
  - ☞ ब्याज माफी के मामले
  - ☞ अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करना
  - ☞ आवेदनों का संशोधन
  - ☞ जब्त किए गए बही लेखाओं और संपत्तियों की विमुक्ति संबंधी
  - ☞ पैन आबंटन/पैन कार्ड्स का जारी होना
- रिफंड के मामलों में, रिफंड वाउचर के बिना खाली लिफाफे भेजा जाना।
- रिफंड भेजने के मामलों में ''पहले आओ, पहले पाओ'' के सिद्धांत का पालन न होना।
- पत्रों या दस्तावेजों की पावती न देना।
- डिमांड और अन्य रजिस्टरों को अद्यतन न करना।
- स्क्रूटनी मामलों के चयन में पारदर्शिता न अपनाया जाना।
- निर्धारित कार्यघंटों का पालन न करना।
- आयकर अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार।
- अन्य कोई मामला, जहां सरकारी निर्देशों की अवहेलना हुई हो या उनका पालन न किया गया हो।

अनुपालन हेतु प्रक्रिया

- शिकायतें, शिकायतकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
  ऑनलाइन शिकायतों के मामलों में, शिकायत का प्रिंटआउट अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करके लोकपाल को भेजा जाना चाहिए।
- शिकायत में निम्नलिखित ब्यौरा स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए:
  - क) शिकायतकर्ता का नाम, पता और पैन।
  - ख) उस अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है।
  - ग) सहायक दस्तावेजों सहित, उन तथ्यों का ब्यौरा, जिनके आधार पर शिकायत की जा रही है।
  - घ) लोकपल से अपेक्षित समाधान।

लोकपाल के समक्ष कोई भी शिकायत तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक कि:

- आपने, वह अधिकारी जिसकी शिकायत की जा रही है के विरूद्ध आपने उसके उच्च अधिकारी को अपनी शिकायत लिखित रूप में दी हो और उसका समाधान न हुआ हो।
- अपने प्रत्यावेदन पर विभाग की ओर से प्राप्त उत्तर की तिथि के एक वर्ष की अवधि के भीतर आपने अपनी शिकायत दर्ज न की हो।
- शिकायत उसी विषय पर न हो, जिस विषय पर अन्य किसी मामले में लोकपाल कार्यालय द्वारा अपना फेसला दे दिया गया हो।

देशभर में निम्नलिखित 12 स्थानों पर आयकर लोकपाल मौजुद हैं :
•मुंबई •दिल्ली •बंगलूरू •लखनऊ •चैन्ने •पुणे •कोलकाता
•अहमदाबाद •हैदराबाद •चंडीगढ़ •भोपाल •कोच्चि

उनके क्षेत्राधिकार संबंधी जानकारी के लिए
www.incometaxindiapr.gov.in/ombudsman.html पर लॉग ऑन करे।

Nov. 2014 / H-12

आयकर निदेशालय
(जन संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001